RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION (ARRC)

Udyog Bhawan Tilak Marg **JAIPUR**

No.RFC/ARRC/Sale/77/ 2796

Dated: 15.11.2003

CIRCULAR (ARRC No.78)

Reg: Proforma of terms & conditions of sale / tender and sale letter

Vide PG circular No. 738 dated 7.8.1997 and O&M circular No.460 dated 1.1.1998, proforma of terms & conditions of sale / tender and sale letter Owing to subsequent amended guidelines, respectively were circulated. changes in these formats are considered essential.

Though, filed offices make necessary changes in proforma considering guidelines / circulars issued from time to time, but, in order to having uniformity, these formats have been suitably amended for the purpose of sale made on deferred payment basis. BOs/ ROs may make necessary changes if sale is made on cash down basis.

All concerned are advised to make use of the revised formats in future, as appended herewith. ghunkla Kur

> (Yaduvendra Mathur) Chairman cum Managing Director

Encl: As above.

Copy to:

All BOs, ROs and SOs. 1.

GM(WZ), Jodhpur / DGM(A&I), Ajmer 2.

Standard circulation in HO

राजस्थान विक्त निगम मुख्यालय/शाखा कार्यालय----

- रूप ड्रेंगर्ड का नाम (जिसकी परिसम्मस्तियाँ निगम दारा विक्य की जा रही है)
- हैब है परिसम्परित का विवरण
- १स१ निवदा की तिथि

निवदा की और

- बैंकर्त पैक/पे-आर्डर के स्थ में जमा कराना होगा । अधिकतम 1.00 लाख रूपये धरोहर राभि के रूप में नकद/डिमांड ड्राफ्ट/ नीलामी में भाग लेने वाले ट्यक्ति को पुस्ताव राभि का 5 पृतिशत या
- इकाई की परिसम्परितयाँ "जहाँ हैं जैसी हैं" की स्थिति में बेची जायेंगी
- परिवर्ति करना वाहता है तो निगम के नियमानुसार विलंबित भुगतान अपने विलंबित भुगतान पर आधारित कृष प्रस्ताव को नकद आधार पर राशि पर छूट दी जा तकती है। कार्यवाही के दौरान ही (अथांत् नीलामी सिमिति दारा निर्णय लेने ते पूर्व) मुगतान आधार पर दे तकता है । यदि कोई केता/निविदाकतर्र नीलामी निविदाकर्ता परिसम्परितयां बरीदने का प्रस्ताव नकद अथवा विलंबित
- के पास सुरक्षित रहेगा । किती भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निगम
- करते हुए) केता को बिक़ी स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीस से 15 दिवस के भीतर जमा करवानी होगी निवदा की% राधि (पूर्व में जमा कराई गई राधि को समायोजित

'n

के भीतर लेना होगा, अन्यया केता दारा जमा कराई गई समस्त राधि की पूर्ति करते हुए बेची गई परिसम्परितयों का कडजा निगम से 30 दिवस (अरनेस्ट मनी एवं इनी शियल चे मेन्ट सिंहत) निगम द्वारा जब्स कर ली आवश्यक औपरारिकताओं

- उम्मीदवारी को राज्य सरकार की नीति के अनुस्य रोजगार उपलब्ध कराना होगा । बरीददार को अपनी इकाई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
- में पुकानी होगी जो कि परिसम्पत्तियों पर कब्जा लेने के 12 माह बाद नकद तथा शेष राशि खरीददार को सादे गांच वर्षी में त्रेमा तिक किरतों विलंबित मुगतान के आधार पर केता की विकृष मूल्य का -

8•

केता की नहीं होगी।

प्रारम्भ होगी । शेष विलंबित भुगतान राशि पर नीलामी के समय विवमान प्रतिशत की दर से ब्याज विक्य स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन बाद अथवा परिसम्पत्तियों के कब्जा लेने के दिन से, जो भी पहले हो, तिमाही किशतों में देना होगा । यदि वरीददार इसमें चूक करता है तो निगम के नियमानुसार दण्डनीय ब्याज रियायती दर से प्रतिशत अधिक, अर्थात् प्रतिशत की दर से देना होगा । इसके अतिरिक्त निगम को राज्य वित्त अधिनियम की धारा 29 के एवं अन्य पावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा । राज्य सरकार के आदेशानुसार विद्युत वितरण कम्पनी, वाणिज्यिक कर विभाग, यातायात विभाग, भूमि एवं भवन कर, राज्य रक्साईज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं उद्योग विभाग की बकाया राशि की जिम्मेदारी

प्राचित्र को रीको लि॰ के आई॰ पी॰ आई॰ से संबंधित बकाया राशि जमा करानी होगी । इस बकाया राशि की जानकारी संबंधित शाखा प्रबंधक से प्राप्त की जा सकती है ।

10. भूमि एवं भवन के केता को विक्य संबंधी दस्तावेजों का निष्पादन राजस्थान स्टाम्प एवं राजस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर कराना होगा तथा राजस्ट्रेशन का व्यय भी केता को वहन करने होंगे जो कि उपर्युक्त विक्य राशि के अतिरिक्त होंगे।

गेता इस इकाई के मूमि एवं भवन में कोई पृद्धण फैलाने बाली इकाई लगाना वाहे तो उसे ऐसा करने से पूर्व राजस्थान राज्य पृद्धण निवारक नियंत्रक मण्डल से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी ।

12. भूमि की लीज होल्ड अधिकार शेष बची हुई अवधि के लिये हस्तान्तरित होगा ।

विलंबित विक्य के मामले में बरीददार यदि प्रारंभिक राशि (इनी शियल प्रेमेंट) 25 प्रतिशत से अधिक राशि जमा कराना चाहे तो करा सकता है। ऐसे मामलों में शेष बची हुई विलंबित भुगतान की राशि पर विचमान दर से क्याज की राशि का भुगतान देय होगा। समय पर भुगतान नहीं करने की दशा में नियमानुसार दण्डनीय क्याज देना होगा।

14. केता को अपनी अच्छी साथ के बारे में निगम की संतुष्टिट के लिये वांछित

केता को अपनी अच्छी साथ के बार में निगम की त्तु । उन्हों के पूर्व देनी होगी । सूचना सम्पन्तियों पर कब्जा लेने के पूर्व/करार के पूर्व देनी होगी ।

可り

यदि केत कमनी केता क होगा मूचना नोट

15.

I K §

15. यदि केता दिक्य करार का निष्पादन किसी पर्म, साझेदारी या कम्पनी के नाम करवाना चाहे तो ऐसी अवस्था में अनुमति के लिये केता को पर्म/कम्पनी में अपना हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक रखना होगा और सभी साझेदारों/निवेशकों की साथ के बारे में समस्त वां छित सूचना देनी होगी।

नोट: मैंन/हमने नीलामी की सभी गर्त भलीमांति पद एवं समझ ली हैं और नीलामी की सभी गर्त मुझे/हमें मंजूर हैं।

§अ§ नीलामी में भाग लेने वाले निविदाकर्ता/टयक्तियों के नाम खं हस्ताधर

कृमांक	निविदाकर्ता/टयक्ति का नाम	हस्ताधर
1.		
2.		
3.		
4.		
5•		
6•		

🖁 ब 🖁 नीलामी समिति के तदस्य

कृमांक	नाम मय पदनाम	हस्ताधर	
1•			
2.			
3.			
4•			
5•			

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION H.O. / B.O. _____

•		Dated :
Shrl _		
F	Piv	. •
Dear :		
Reg:	Approval of sale of assets i.e.	
	of M/s located at	
	located at	
	With reference to above, we are pleased to inform yo	
Rs	(Rupees	only) for the
purch	ase of fixed assets i.e.	or
M/s_	located at	given by you
during	g auction / negotiations held on dated	at Head Office /
Regio	onal Office/ Branch Office (place)ha	s been approved by
this C	corporation on the following terms and conditions:	
1.	The fixed assets are being sold to you in "as is where is"	position.
2 .	The sale price of the fixed assets (i.e.	
	shall be Rs	au ista
3.	You are required to make% i.e. Rs	of the sale
	price as initial payment within a period of 15 days from	the date of issue of
	this letter. In case, the possession of assets, after con	npleting the requisite
	formalities, is not taken over by you within a period of 30	days from the date
	of leave of this sale letter, the entire amount deposit	ed by you (including
	earnest money and initial fayment) may be forfeited	by the Corporation
	without alving further notice to you.	
4.	The balance payment shall be made by you in a period	oryear
	in quarterty / monthty instalments. The first	st such payment sna

months. The last date of			
months. The last			
EAT THE CAPIT			
make may more or your make not many and ave more			
5. You will make part of sold assets OR after expiry of 50 days. In case of default,			
date of takcover of sold assets OR after expiry of 30 days. date of takcover of sold assets OR after expiry of 30 days. Issue of letter for approval of sale, whichever is earlier. In case of default, assets of sold assets OR after expiry of 30 days. Assets of takcover of sold assets OR after expiry of 30 days. Assets of takcover of sold assets OR after expiry of 30 days. Assets of takcover of sold assets OR after expiry of 30 days. Assets of takcover of sold assets OR after expiry of 30 days.			
the Corporation shall charge % above the Concessional rate of interest			
the an the access as sold to you fully made a			
hire purchase agreement. 7. The purchaser will execute an agreement to sell /conveyance deed within a			
7. The purchaser will execute an agreement to be period of 30 days from the date of issue of this letter and shall take over the			
possession of assets simultaneously without any delay.			
8. In case the possession of assets is not taken by you in terms of condition			
No.7, after completing requisite formalities and is taken on a later date then			
the Corporation shall charge interest as per the condition No.5 of this letter			
including the period for which possession is not taken by you.			
9. Leasehold rights of the land shall be transferable only for the remaining			
period of lease by lessor.			
10. You will also be liable for IPI dues of RIICO Ltd.			
11. You have to get the documents relating to sale executed and registered at			
your own cost as per provisions of Rajasthan Stamps & Registration Act. All			
the charges about stamps & registration are to be hald by you			
12. You have to submit NOC of Rajasthan Pollution Control Board in case of any			
Policion profile unit is established.			
13. You have to give employment to SC/ST candidates as per policy of the State			
- o samment.			
14. In case the purchaser intends to execute the Agreement to Sell /			
June Deed in layour of any firm / company, then the purchase to			
of his share in that firm / company All regulation			
relating to his / their creditworthiness reports pood to be			
The state of the s			
You are requested to please contact our BO for further			
modesally action in the matter and deposit a sum of Po			
amount (after adjustment of money deposited by you at the time of auction) of sale			
money deposited by you at the time of auction) of sale			

price at the earliest but positively within a period 15 days and also takeover possession of assets sold to you within 30 days from the date of issue of this letter after execution of an Agreement to Sell / Conveyance Deed, otherwise the approval for sale being conveyed to you will be treated as cancelled.

Thanking you,

Yours faithfully,

Branch Manager/Manager (ARRC)/DM(FR)

/DM(ARRS)

Copy	y to:	
1.	Branch Manager, RFC	for information and n/a.
2 .	DGM(R), RFC,	for information.
3.	DGM(ARRC), HO	for information.